भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2637

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग और हाल ही में हुई समीक्षा

2637. श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया है, यदि हां, तो विचार-विमर्श किए गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल के समर्थन में ऐसी रेटिंग एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्रीय संकेतकों और राजकोषीय मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धतियों में पारदर्शिता बढ़ाने तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग के संबंध में भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने हेतु कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) एवं (ख) सरकार अपनी आवधिक संप्रभु रेटिंग समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती है। चर्चाओं - जिनमें पिछले एक वर्ष में हुई बातचीत भी शामिल है, में मुख्य रूप से भारत के समष्टि अर्थशास्त्रीय और राजकोषीय विकास, मध्यम अवधि में विकास संभावनाओं और संरचनात्मक सुधारों संबंधी पहलें शामिल हैं। इन वार्ताओं के दौरान चर्चा मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्रीय और राजकोषीय संकेतकों जैसे कि जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, केंद्र सरकार का ऋण,चालू खाता शेष, विदेशी ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार आदि पर आधारित होती है।

(ग) सरकार ने लगातार भारत का यह पक्ष रखा है कि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धतियां उद्देश्यपरक, डेटा पर आधारित होनी चाहिए और उनमें उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के समष्टि अर्थशास्त्रीय आधार, संस्थागत सुदृढ़ता और विकास की संभावनाओं को पर्याप्त रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए। सरकार ने गुणवतापूर्ण और अवधारणा-आधारित संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और संप्रभु रेटिंग प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता लाने पर बल की दिया है।
